

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय, मध्य प्रदेश

लिक रोड नम्बर 3, भोपाल पिन कोड-462016

ई-मेल - [dir.socialjustice@mp.gov.in](mailto:dir.socialjustice@mp.gov.in)

क्र./दि.स.696617/ I/1107408/2026

भोपाल दिनांक 22-06-2026

प्रति,

समस्त  
संयुक्त / उप संचालक,  
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण,  
मध्य प्रदेश ।

विषय:- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना का वित्तीय वर्ष 2026-27 में ऑनलाईन क्रियान्वयन करने के संबंध में।

-----

विषयातंगत लेख है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के ऑनलाईन क्रियान्वयन हेतु एन.आई.सी. म.प्र. के सहयोग से स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाईन प्रणाली विकसित की गई है। उक्त प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु योजना का क्रियान्वयन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाये :-

1. दिव्यांग छात्र - छात्राएं स्वयं पात्रतानुसार पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर सकते हैं।
2. जिले के संयुक्त /उप संचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिला कार्यालय में प्राप्त ऑफलाईन आवेदनों को भी पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज कर सकते हैं।
3. जिले के संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर नियमानुसार एवं पात्रानुसार आवेदन को स्वीकृत अथवा अपात्र होने पर अस्वीकृत करने की कार्यवाही करेंगे।
4. उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2026- 27 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से 31अगस्त 2026 तक आवेदन प्राप्त किये जाये।
5. प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पात्रतानुसार आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने की कार्यवाही 15सितम्बर 2026 तक सुनिश्चित की जाये।
6. स्वीकृत आवेदनों की संख्या के आधार पर लेपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल क्रय करने/क्रय आदेश जारी करने की कार्यवाही 15 अक्टूबर 2026 तक नियमानुसार सुनिश्चित की जाये।
7. स्वीकृत आवेदनों को उनकी पात्रतानुसार लेपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल विश्व दिव्यांग दिवस (3 दिसम्बर 2026) को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर, जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किये जाये।
8. लेपटॉप अथवा मोट्रेट ट्रायसिकल वितरित करने के उपरांत प्रदाय सामग्री की जानकारी 05 दिसम्बर 2026 तक पोर्टल पर वितरित दिनांक एवं फोटो (वितरण करते समय लिया गया फोटो सहित) अपलोड करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कर वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का ऑनलाईन क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

कार्यालय प्रमुख/ संयुक्त संचालक  
वास्ते आयुक्त  
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.

पृ.क्र./ I/1107408/2026

दिनांक 22-06-2026

1. प्रमुख सचिव म.प्र शासन, सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.।
- 2 आयुक्त जनसंपर्क म.प्र.।
- 3 समस्त संभागीय आयुक्त म.प्र.।
- 4 समस्त कलेक्टर म.प्र.।
- 5 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
- 6 राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. म.प्र.।
- 7 श्री योगेश सिंह, वरीष्ठ तकनीकी संचालक एन.आई.सी म.प्र., कृपया स्पर्श पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने का कष्ट करें।
- 8 समस्त अधिक्षक/प्राचार्य, विभागीय शासकीय विशेष विद्यालय जिला इंदौर, जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, उज्जैन, सागर, बैतूल, एवं खरगौन म.प्र., आपके विद्यालय में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्र/छात्राओं के आवेदन पोर्टल पर ऑनलाईन कराना सुनिश्चित करें।
- 9 समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी म.प्र.।

कार्यालय प्रमुख/ संयुक्त संचालक  
वास्ते आयुक्त  
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.